

प्रेस नोट-
थाना नवाबाद जनपद झाँसी

दिनांक – 26.09.2026

- झाँसी पुलिस की साइबर अपराध के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही,
- आम आदमी को रूपयों के लाभ का लालच देकर ठगी करने वाला 02 वर्ष से फरार 25,000/- रुपये का इनामिया अभियुक्त व उसकी पत्नी गिरफ्तार,
- गिरफ्तार अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनांक 25.09.2026 को थाना नवाबाद पुलिस द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 473/24 धारा 420 भादवि में वांछित/ इनामिया वारण्टी अभियुक्त बीरेन्द्र सिंगरिया पुत्र द्वारका नाथ सिंगरिया निवासी ग्राम भसनेह थाना गुरसराय जिला झाँसी उम्र करीब 36 वर्ष व उसकी पत्नी पूजा शर्मा उम्र करीब 30 वर्ष को 290 सेक्टर 77 मोहाली, पंजाब से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 03.10.2024 को आवेदक श्री ओमप्रकाश वर्मा पुत्र कन्हई निवासी रामराजा लॉज के पीछे, झाँसी रोड, उरई, जनपद जालौन द्वारा थाना नवाबाद पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा वादी एवं वादी की पुत्रवधू को एक्स-रे/पैथोलॉजी लैब में पार्टनरशिप के नाम पर षड्यंत्रपूर्वक फर्जी दस्तावेज/डीडी तैयार कर कुल 25,00,000/- रुपये हड़प लेने तथा वापस न करने के संबंध में अभियुक्तगण 1. डॉ. वीरेन्द्र सिंगरिया पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद सिंगरिया, मूल निवासी ग्राम एवं पोस्ट भसनेह, थाना गुरसराय, तहसील टहरौली, जनपद झाँसी, स्थायी निवासी फ्लैट नं. 1ए, श्रीनिवास जेएमके कॉलोनी, शिवाजीनगर, थाना नवाबाद, जनपद झाँसी एवं 2. श्रीमती पूजा शर्मा पत्नी डॉ. वीरेन्द्र सिंगरिया, निवासी उपरोक्त के विरुद्ध थाना नवाबाद पर मु0अ0सं0 473/2024 धारा 420 भादवि पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना नवाबाद सहित जनपद के अन्य थानों में भी उनके अस्पताल विद्या हेल्थ केयर, शिवाजीनगर, झाँसी के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी कर रुपये लेने के संबंध में अभियोग पंजीकृत हैं।

मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना नवाबाद पुलिस द्वारा लगातार तलाश एवं गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। इसी क्रम में दिनांक 25.09.2026 को थाना नवाबाद पुलिस को सर्विलांस सेल, जनपद झाँसी की सहायता से प्राप्त लोकेशन के आधार पर वांछित एवं 25,000/- रुपये के इनामिया अभियुक्त वीरेन्द्र सिंगरिया तथा उसकी पत्नी पूजा शर्मा, उम्र करीब 30 वर्ष को 290, सेक्टर-77, मोहाली, पंजाब से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता अभियुक्त –

1. बीरेन्द्र सिंगरिया पुत्र द्वारका नाथ सिंगरिया निवासी ग्राम भसनेह थाना गुरसरांय जिला झांसी उम्र करीब 36 वर्ष (25,000/- रुपये इनामिया)
2. पूजा शर्मा पत्नी बीरेन्द्र सिंगरिया निवासी ग्राम भसनेह थाना गुरसरांय जिला झांसी परोक्त उम्र करीब 30 वर्ष

अभियुक्त बीरेन्द्र सिंगरिया पुत्र द्वारका नाथ सिंगरिया का अपराधिक इतिहास –

1. अ0सं0 473/24 धारा 420 भादवि थाना नवाबाद, झांसी
2. अ0सं0 46/25 धारा 406 भादवि थाना नवाबाद, झांसी
3. अ0सं0 284/23 धारा 306 भादवि थाना कोतवाली, झाँसी
4. अ0सं0 261/26 धारा 406/506/120बी भादवि थाना नवाबाद, झांसी
5. अ0सं0 374/25 धारा 406/506/120बी भादवि थाना नवाबाद, झांसी
6. अ0सं0 188/24 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना गुरसरांय, झांसी
7. अ0सं0 843/24 धारा 420 भादवि थाना कोतवाली उरई जिला जालौन

अभियुक्ता श्रीमती पूजा शर्मा पत्नी बीरेन्द्र सिंगरिया का अपराधिक इतिहास –

1. अ0सं0 473/24 धारा 420 भादवि थाना नवाबाद, झांसी
2. अ0सं0 261/26 धारा 406/506/120बी भादवि थाना नवाबाद, झांसी
3. अ0सं0 374/25 धारा 406/506/120बी भादवि थाना नवाबाद, झांसी
4. अ0सं0 188/24 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना गुरसरांय, झांसी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रवि श्रीवास्तव थाना नवाबाद जिला झाँसी
2. उ0नि0 श्री दीपक तोमर, चौकी प्रभारी मण्डी, थाना नवाबाद, झाँसी
3. प्रभारी सर्वलांश जनपद झांसी मय टीम
4. का0 736 गौरव शुक्ला थाना नवाबाद जिला झाँसी
5. म0का0 336 तान्या थाना नवाबाद जिला झाँसी
6. म0का0 475 रश्मि यादव थाना नवाबाद जिला झाँसी